

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प० ८ (५५) शिक्षा-५/०४ जयपुर दिनांक २१.०९.२००५ एवं २३.०५.२००७ के क्रम में पुष्पा विद्या निकेतन समिति, कोटा द्वारा संचालित भगत पब्लिक सी.सै. स्कूल, अलमिया, जोटा का वर्तमान परिसर के अलग कक्षा कक्षा में हिन्दी माध्यम के साथ-साथ उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा ६ से १२) तक अंग्रेजी माध्यम से भी अध्ययन कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम १९८९ एवं नियम १९९३ की पालना करनी होगी।

उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिदिरा-माध्य/मा/अ-२-३/अति.मा./समत-कोटा/१२ दिनांक : १४/१०/१२  
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
२. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा
३. सचिव, पुष्पा विद्या निकेतन समिति, कोटा
४. संबंधित संस्था प्रधान भगत पब्लिक सी.सै. स्कूल, अलमिया, कोटा
५. गार्ड फंजिका

  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

PUSHPA VIDYA NIKETAN SAMITI

President Secretary Treasurer

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) - कोटा  
कार्यालय - आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक -- पत्र(2)शिक्षा-5/ 2005 / जयपुर दिनांक 9.3.2011, 27.05.11, 24.08.11 के निर्देशानुसार एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक - शिविरा / मा. / माध्य / मा. / अ-4 / 21313 / वो-2 / 2011-12 दिनांक 16.08.2011 के द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन किये जाने के उपरान्त निम्नांकित गैर सरकारी, माध्यमिक विद्यालयों का सत्र 2011-12 से निम्न शर्तों के आधार पर उनके सम्मुख अंकित संकाय / विषयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. सत्र 2011-12 में कक्षा 11 एवं सत्र 2012-13 में कक्षा 12 प्रारम्भ करनी होगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र-क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
6. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 की पालना करनी होगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कमी पायी गयी तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा तथा भवन सुरक्षा के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से आवरक प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित करना होगा।

क्र.स.	विद्यालय का नाम मय पता	संकाय/विषय	माध्यम
1	भगत पब्लिक सेकेंडरी स्कूल अलनिया कोटा	विज्ञान - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान कला - हिन्दी सा., अंग्रेजी सा., भूगोल, गृह विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान	अंग्रेजी हिन्दी
2	अक्षय लोकेश विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज कोटा	कला - हिन्दी सा., भूगोल, गृह विज्ञान, संस्कृत सा.	हिन्दी

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा कोटा

दिनांक 18.08.11

क्रमांक - जिशिअ/मा/को/सागा-3/मान्यता/2011-12/ 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान शासन सचिव/उपशासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-6) विभाग जयपुर
2. श्रीमान आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
3. श्रीमान उपनिदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर
5. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, कोटा
6. सम्बन्धित संस्था - भगत पब्लिक सेकेंडरी स्कूल अलनिया कोटा

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा कोटा

भगत Public Sr. Sec. School

Principal

PUSHPA VIDYA NIKETAN SAMITI

President Secretary Treasurer